सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 637 / 2022

1. तेजपाल पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हैप्पी पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

– वादीगण

बनाम्

1 पूर्णाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 ऑबीसी बैंक शाखा धोलीपाल
3 तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री रामनिवास बेदी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री अमित कुमार वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती हैः– कि चक 25 / 1 एएमपी के खाता सं. 120 / 50 के साझा खाता 6.578 है में से प्रतिवादी सं. 1 पूर्णाराम के नाम दर्ज 1 / 4 हिस्सा यानि 1.644 है. में से वादीगण सं. 1 व 2 को 2 / 3 हिस्सा बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज.....×.....नल.....×.....मुब्लिक.....×.....निल.....×.....बाबत्....×.....निल.....×.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक....×.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 01.02.2023 को जारी किया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः—**रमेश देव** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः—637/2022

वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए

1. तेजपाल पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. हैप्पी पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड नं. 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

— वादीगण

बनाम्

1 पूर्णाराम पुत्र आशाराम जाति मेघवाल साकिन वार्ड 08 इन्द्रपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2 ऑबीसी बैंक शाखा धोलीपाल
3 हसीलदार (राजस्व) संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री रामनिवास बेदी — वादी
2. श्री अमित कुमार — प्रतिवादी सं. 1
3. राजपैरोकार — प्रतिवादी सं. 3

निर्णय दिनांक 01.02.2023

अधिवक्ता वादीगण द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार चक 25/1 एएमपी जमाबंदी 2073—76 के खाता सं. 120/50 के कुल साझा खाता 6.578 है. में से हम वादीगण के पिता प्रतिवादी सं. 1 पूर्णाराम के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी वाद पत्र के साथ संलग्न है।

यह कि वाद चरण 2 में वर्णित प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 1. 644 है. कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि है। तथा जयद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण कृषि भूमि को लेकर वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 के बीच अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। घरू बंटवारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के विरचित प्रावधानों के ध्यान में रखकर किया गया है। घरू बंटवारा में अच्दी मन्दी भूमि का ध्यान रखा गया है। तथा रास्ता खाला की सुविधा अनुसार भूमि का विभाजन किया गया है। घरू विभाजन में प्रतिवादी सं. 1 के हिस्सा में आई 1/4 हिस्सा यानि 1.644 है. में से 2/3 हिस्सा यानि 1.096 है. वादीगण को, व शेष 1/3 हिस्सा यानि 0.548 है0 प्रतिवादी सं 1 को प्राप्त हुआ है। उपर्युक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं 1 की घरू बंटवारानामा के रोज से शांतिपूर्ण बिना किसी बाधा के कब्जा काश्त चली आ रही है। कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है।

यह है कि वादीगण मौका पर वाद पत्र की चरण सं. 2 के अनुसार वाद चरण 3 अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा असर पडता है व रकम राज वाटरमेंट शुल्क आदि राज्य सरकार को अदा करने में कठिनाईया आती है जबकि वादीगण, प्रतिवादी सं. 1 के समान बहिब खातेदार काश्तकार कहलाने के अधिकारी व दावेदार है। इसलिण दावा की चरण सं. 3 अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा के वादीगण बहिब खातेदार काश्तकार है। व घोषणा करवाने के अधिकारी है।

यह कि उक्त कृषि भूमि की घोषणा कर 2/3 हक हिस्सा होना मान लो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल करते रहे अंत में पिछले सप्ताह प्रतिवादी वादीगण की बात मानने से कतई तौर पर इन्कार हो गया यही वादी का कारण है।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई प्रतिवादी सं. 1 ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ने वकालतनामा व इकबालदावा पेश किया। प्रतिवादी सं. 2 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया। वादी ने शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया। वकील प्रतिवादी ने निवेदन किया कि साक्ष्य प्रतिवादी पेश नहीं करना चाहते है। अतः साक्ष्य प्रतिवादी बंद किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। बहस वकील वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सुनी गई। वादीगण एव प्रतिवादी सं. 1 इकबाल दावा से वाद स्पष्ट है तथा कब्जा काश्त या अन्य कोई विवाद प्रतीत नहीं होता है। प्रश्नगत आराजी पर वादीगण पूर्व से घरू बंटवारे के मुताबिक काबिज है न्यायालय के मत में दोनो पक्षों में कोई विवाद नहीं है अतः तनकीयात की भी आवश्यकता नहीं है। वादीगण वाद की दफा 3 अनुसार घोषणात्मक डिक्री करवाने के अधिकारी है। वादीगण वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 25/1 एएमपी के खाता सं. 120/50 के साझा खाता 6.578 है में से प्रतिवादी सं. 1 पूर्णाराम के नाम दर्ज 1/4 हिस्सा यानि 1.644 है. में वादीगण सं. 1 व 2 को 2/3 हिस्सा बहिब कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है इसी अनुसार प्रतिवादी सं. 1 का हिस्सा कम किया जावे। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से लिखवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

नोटः– उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official